

पंचवर्षीय योजना में खेतिहर मजदूर की स्थिति

Situation of agriculture labourers in five year plans

योजना आयोग ने खेतिहर मजदूरों की स्थिति एवं समस्याओं पर विशेष प्रकाश डालता है तथा इनकी स्थिति में सुधार के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत से सुझाव प्रस्तुत किये हैं। आयोग के अनुसार, खेतिहर खेतिहर मजदूर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के एक प्रमुख अंग हैं; अतः इनकी उन्नति एवं समृद्धि पर ही समस्त ग्रामीण व्यवस्था की उन्नति एवं समृद्धि भी आश्रित है। इस प्रकार, मजदूरों की स्थिति में सुधार को पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रधान उद्देश्य बनाया गया है। योजना आयोग के निम्नांकित वाक्य से स्पष्ट है - "It is one of the primary objects of the Five year Plans to ensure fuller opportunities for work and a better living to all sections of the rural community and in particular, to assist agricultural labourers and the backward classes to come up to the level of rest. Their problems undoubtedly constitute a challenge, and the obligation rests upon the community as a whole to find a satisfactory solution for them."

• प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five year Plan) - भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के लिए 1.5 करोड़ रुपये व्यय का एक कार्यक्रम तैयार किया गया था, किन्तु योजनाकाल में इस मद में 1 करोड़ रुपये से भी कम खर्च हुई।

• द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five year Plan) - इसमें खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता पर जोर था। साथ ही, वंजर भूमि के उद्धार के बाद उसमें सहकारी कृषि के आधारे पर यथासम्भव खेती खेती की जाने ली थी। योजना के अंतर्गत इनकी स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण उद्योगों के विकास का भी आयोजन किया गया था। साथ ही मजदूरों के पास-स्थान की भूमि, श्रम सहयोग समितियों की स्थापना तथा भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास पर भी योजना में विशेष रूप से जोर दिया गया था। योजनाकाल में 1 लाख एकड़ भूमि पर 10,000 भूमिहीन मजदूर परिवारों को बसाने के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना में पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिए भी 90 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

• तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Five year Plan) में भी कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार पर जोर दिया गया था। योजनाकाल में राज्यों की योजनाओं के अनुसार खेतिहर मजदूरों की

वसाने के लिए 4 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकार द्वारा 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। तृतीय योजनाकाल में 50 लाख रुकड़ भूमि पर 1 लाख खेतिहर मजदूर परिवारों को वसाने की व्यवस्था थी। योजनाकाल में इनकी अर्द्ध-वैरोजगारी की स्थिति को दूर करने के लिए गाँवों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपनाये गए थे जिनके परिणामस्वरूप योजना के अन्त में प्रायः 25 लाख खेतिहर मजदूरों को 100 दिन की अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त होने की आशा थी।

• चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) में छोटे-छोटे किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए दो प्रकार की व्यवस्था थी। सर्वप्रथम तो कृषि विकास के लिए बहुत से सामान्य कार्यक्रम अपनाये जाने को थे जिनसे सम्पूर्ण कृषक-समाज के साथ-साथ छोटे-छोटे किसानों को भी लाभ होने की आशा थी। देश के चुने हुए जिलों में छोटे किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किए जाने को थे। योजनाकाल में कुछ चुने हुए जिलों में Small Farmers Agency नामक एक विशेष संस्था स्थापित की गयी। योजनाकाल में इस मद में 1.6 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था।

• पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) में भी इस मद में विशेष जोर देने का आयोजन था। योजनाकाल में खेतिहर मजदूरों को वास्तविक के लिए भूमि विभाजन के लिए 25 करोड़ रुपये का व्यय की व्यवस्था थी।

• छठी पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) में भी कृषि-मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रयत्न किए गए थे। योजना में लघु-स्व-सीमांत किसानों तथा कृषि मजदूरों (Marginal Farmers and Agricultural Labourers) की स्थिति में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन था। साथ ही, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.) में भी खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष आयोजन था।

• सातवीं पंचवर्षीय योजना (Seventh Five Year Plan) में भी खेतिहर मजदूरों तथा लघु स्व-सीमांत किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन I.R.D.P. कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। इन कार्यक्रमों का प्रधान उद्देश्य खेतिहर मजदूरों, विशेषतः भूमिहीन मजदूरों की आश देने वाले परिसम्पत्ति प्रदान करने का आयोजन था।

• आठवीं योजना (Eighth Five Year Plan) में खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार पर विशेष रूप से जोर देने की व्यवस्था थी। योजनाकाल में भी भूमि-सुधार के

(3)

परिणामस्वरूप जो अतिरिक्त भूमि अविग्रहित होगी उसका वितरण खेतिहर मजदूरों के बीच व्यापस्था ही करने की थी।

• नौवीं योजना (Ninth Five Year Plan) के अन्तर्गत भी खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार को सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित आवश्यक समझ कर इनकी स्थिति को समुन्नत बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया था।

• दसवीं पंचवर्षीय योजना (Tenth Five Year Plan) में भी इस कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया था।

भारत यह है कि खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सरकार-केन्द्र तथा राज्य सरकारें तो तत्पर हैं ही, किन्तु इनकी स्थिति में सुधार के लिए किसानों तथा अन्य सम्पन्न वर्गों के दृष्टिकोण में व्यापक सुधार भी आवश्यक हैं। तभी इनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। यदि इनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो सम्पूर्ण ग्रामीण समाज आहिंसा तथा अशांति में डूब जायगा जिससे देश की आर्थिक प्रगति को भी आघात पहुँचेगा।